

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 200/2020

दायर दिनांक: 02.12.2020

उनवान

1. सुरेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया ।
2. रामकेलाश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादीगण

बनाम

1. गोबरीलाल आयु 68 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
2. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर ।

आदेश

दिनांक: 07/07/2021

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89,188, 53, आर०टी० एक्ट के तहत विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 49 का ख०नं० 134 रकबा 0.59 है०, ख०नं० 135/849 का रकबा 0.08 है०, खं नं. 145 का रकबा 1.28 है०, ख. न. 167 का रकबा 1.15 है०, खं नं. 168 का रकबा 1.16 है०, ख. न. 359 का रकबा 0.18 है०, खं नं. 365 का रकबा 0.61 है०, ख. न. 368 का रकबा 1.51 है०, खं नं. 369 का रकबा 0.17 है०, कुल कित्ता 9 का रकबा 6.73 है० का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 17.02.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/713 दिनांक 29.04.2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2021 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 49 का ख0नं0 134 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 135/849 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 145 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 167 का रकबा 1.15 है0, ख0नं0 168 का रकबा 1.16 है0, ख0नं0 359 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 365 का रकबा 0.61 है0, ख0नं0 368 का रकबा 1.51 है0, ख0नं0 369 का रकबा 0.17 है0 कुल किता 9 रकबा 6.73 है0 भूमि में वादीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र गोबरीलाल 2. रामकेलाश पुत्र गोबरीलाल तथा प्रतिवादी क्रम 1. गोबरीलाल पुत्र प्रभूलाल को हिस्सा 1/3-1/3 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
1.	सुरेन्द्र पुत्र गोबरीलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	359 पूर्व	0.09 है0	माल-2	12	1.08
		365	0.61 है0	माल-2	1	7.32
		368	1.51 है0	माल-2	12	18.12
	कुल खसरा	कुल किता 3	2.21 है0	-	-	26.52

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
2.	रामकेलाश पुत्र गोबरीलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	134	0.59 है0	माल-2	10	5.90
		135/849	0.08 है0	माल-2	10	0.80
		145	1.28 है0	माल-2	10	12.80
		359 पश्चिम	0.09 है0	माल-2	12	1.08
		369	0.17 है0	माल-2	12	2.04
	कुल खसरा	कुल किता 5	2.21	-	-	22.62

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
3.	गोबरीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	167	1.15 है0	माल-2	12	13.80
		168	1.16 है0	माल-2	10	11.60
	कुल खसरा	कुल किता 2	2.31 है0	-	-	25.40

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्ददाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरु जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरु जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 200/2020

उनवान

1. सुरेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया।
2. रामकेलाश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री गोबरीलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरु जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. गोबरीलाल आयु 68 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरु जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरु जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरुX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 49 का ख0नं0 134 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 135/849 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 145 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 167 का रकबा 1.15 है0, ख0नं0 168 का रकबा 1.16 है0, ख0नं0 359 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 365 का रकबा 0.61 है0, ख0नं0 368 का रकबा 1.51 है0, ख0नं0 369 का रकबा 0.17 है0 कुल किता 9 रकबा 6.73 है0 भूमि में वादीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र गोबरीलाल 2. रामकेलाश पुत्र गोबरीलाल तथा प्रतिवादी क्रम 1. गोबरीलाल पुत्र प्रभूलाल को हिस्सा 1/3-1/3 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
1.	सुरेन्द्र पुत्र गोबरीलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	359 पूर्व	0.09 है0	माल-2	12	1.08
		365	0.61 है0	माल-2	1	7.32
		368	1.51 है0	माल-2	12	18.12
	कुल खसरा	कुल किता 3	2.21 है0	-	-	26.52

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
2.	रामकेलाश पुत्र गोबरीलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	134	0.59 है0	माल-2	10	5.90
		135/849	0.08 है0	माल-2	10	0.80
		145	1.28 है0	माल-2	10	12.80
		359 पश्चिम	0.09 है0	माल-2	12	1.08
		369	0.17 है0	माल-2	12	2.04
	कुल खसरा	कुल किता 5	2.21	-	-	22.62

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
3.	गोबरीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर सा. देह खातेदार	167	1.15 है0	माल-2	12	13.80
		168	1.16 है0	माल-2	10	11.60
	कुल खसरा	कुल किता 2	2.31 है0	-	-	25.40

तहसीलदार अटरु उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरु जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.07.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)